

अनुमति की शर्तें।

- (i) श्वेत भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत राशियों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

पंचायत विद्युत केवल शासकीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 114D दिनांक 24/06/2019
 प्रार्थी शिव किशन जोशी 516 511 असुरक्षित जोशी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No = 19/234 राजपाली हाउसिंग
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय बैड
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6677/- 5771
 जिनसे राशि संख्या 1028/2771, 2772
 दिनांक 24/06/2019 को जमा करा दी है।

प्रमुख
नगर निगम, जोधपुर

10-6-2019
गौतम नाथुज
सहायक नगर तिपाज न
नगर निगम, जोधपुर

9984900051

पी+1
शासकीय